

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दाण्डिक अपीलिय अधिकारिता

दाण्डिक अपील सं. 469-470/2019

(विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं 227-228/2019 से उत्पन्न)

मुकेश चंद

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

राज्य (एन.सी.टी.) दिल्ली एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्या., अभय मनोहर सप्रे,

1. अनुमति प्रदान
2. यह अपीलें CrI. M. C. No. 2757/2018 में CrI. M. A. No. 49292/2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2018 को पारित हुए अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध निर्देशित होती हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर किए आवेदन को खारिज किया था ।

3. इन अपीलों के निपटान हेतु कुछ तथ्यों को यहाँ नीचे उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें एक छोटा तथ्य है ।
4. अपीलार्थी बिजली का एक उपभोक्ता था । इसलिए उसने अपने व्यावसायिक परिसर हेतु प्रत्यर्थी सं. 2 - बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लिमिटेड (अब से बी.एस.ई.एस. कहा जाएगा) से एक बिजली का कनेक्शन लिया ।
5. प्रत्यर्थी सं. 2 - बी.एस.ई.एस. ने अपीलार्थी को दिनांक 22.09.2014 को 3,54,598.21/- रुपये का बिजली खपत करने का बिल भेजा । बी.एस.ई.एस. के अनुसार, अपीलार्थी ने बिजली की चोरी की थी और पता चलने पर, प्रश्नगत बिल अपीलार्थी को भेजा गया था ।
6. चूँकि अपीलार्थी बिल की रकम अदा करने में असफल रहा, बी.एस.ई.एस. ने उसके विरुद्ध बिजली अधिनियम, 2003 (अब से 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 135 के तहत प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की तथा अधिनियम के तहत बिजली चोरी के दोष हेतु अपीलार्थी के अभियोजन की माँग की। इसको दंड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 41 के तहत (अब से "Crl. P.C." कहा जायेगा) दिए नोटिस के द्वारा भी अनुसरण किया गया ।

7. हाँलाकि, अपीलार्थी और बी.एस.ई.एस. ने मामले को 11.02.2018 को आयोजित विशेष लोक अदालत में कुल 1,60,000/- रुपये की कुल राशि पर समझौता कर लिया था | तदानुसार लोक अदालत द्वारा 11.02.2018 को एक आदेश पारित किया गया | अपीलार्थी के अनुसार उसने सहमति रकम को दो किश्तों में जमा करा दिया था |
8. अपीलार्थी ने इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें बी.एस.ई.एस. द्वारा उस पर उपरोक्त विवाद से सम्बंधित दर्ज की गई प्रथम इत्तला रिपोर्ट को रद्द करने हेतु माँग की गई थी |
9. आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया जिसने इस न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों को अपीलार्थी (उपभोक्ता) द्वारा दायर करने हेतु बढ़ावा दिया है |
10. अपीलार्थी के फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री वी.के.शर्मा और प्रत्यर्थी सं.-1 के फ़ाज़िल सहायक सोलिसिटर जनरल श्री के.एम.नटराज और प्रत्यर्थी सं. 2- बी.एस.ई.एस. के फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री सोनल जैन को सुना गया |

11. अपीलार्थी (उपभोक्ता) के फ़ाज़िल अधिवक्ता ने लोक अदालत के दिनांक 11.02.2018 के आदेश (संलग्नक पी-5) की शर्त (iii) को बताते हुए यह प्रतिवाद किया कि, पक्षों के बीच हुए समझौते में बी.एस.ई.एस. ने यह माना था कि, वह अपीलार्थी के विरुद्ध उनके द्वारा दायर किये सभी मामलों, प्रथम इत्तला रिपोर्ट और दाण्डिक मामले को जो उसके विरुद्ध बी.एस.ई.एस. ने दायर किये हैं, सभी को, लोक अदालत में हुए समझौते की शर्तों के अनुसार ही निपटाया जाएगा |
12. प्रतिउत्तर में, प्रत्यर्थी सं.2 - बी.एस.ई.एस. के अधिवक्ता ने यह प्रतिवाद किया कि, प्रश्नगत मुद्दे को अधिनियम की धारा 152 की आवश्यकताओं के मद्देनज़र ही निर्णित किया जाए |
13. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के रिकॉर्ड की जाँच के बाद, हम अपीलों को मंज़ूर करते हैं और आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए मामले को अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए याचिका को पुनः निर्णित करने हेतु उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं |
14. जैसा कि प्रत्यर्थी सं.-1 के फ़ाज़िल सहायक सोलिसिटर जनरल

श्री के.एक.नटराज द्वारा सही इंगित किया गया, कि, प्रश्नगत मुद्दे को अधिनियम की धारा 152, जो अधिनियम के तहत अपराधों के शमन से सम्बंधित हैं, के अनुसार विनिश्चित किया जाना चाहिए।

15. चूंकि हमने देखा कि, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 152, के मद्देनज़र मुद्दे को नहीं जाँचा, इसलिए हम मामले को अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को पुनः परीक्षण करने हेतु उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं तथा कानून के अनुसार उसमें सम्मिलित तथ्यों पर मामले की आवश्यकतानुसार उचित आदेशों को पारित करें ।

16. पूर्ववर्ती परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए अपीलों को स्वीकार किया जाता है, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है तथा मामले को पुनः निर्णित करने हेतु उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

17. हम यह स्पष्ट करते हैं कि मामले को प्रतिप्रेषित करने के मत पर हमने मामले के गुणागुण पर ध्यान नहीं दिया है । अतः उच्च न्यायालय, इस आदेश में हमारे द्वारा किए गए किसी भी प्रेक्षण से

अप्रभावित हुए बिना, मामले का फैसला पूर्ण रूप से कानून के अनुसार
करेगा |

न्या.

(अभय मनोहर सप्रे)

न्या.

(दिनेश महेश्वरी)

नई दिल्ली,
मार्च 12, 2019

*अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित
प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह
किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं
व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना
जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी
जाएगी।*